

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 110/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

ट्रूहोम फाईनेंस लिमिटेड (पूर्व नाम श्रीराम हाऊसिंग लिमिटेड) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजेश कुमार चौधरी

पंजीकृत कार्यालय:- Srinivasa Tower, 1st Floor, Door No. 5, Old No. 11, 2nd Lane, Cenatoph Road, Alwarpet, Teynampet, Chennai-600018, Tamilnadu

Head Office: Level-3, Wockhardt Tower, East Wing, C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051

शाखा कार्यालय:- P.N.- 245-246, 2nd Floor, Omkar Tower, Hanuman Nagar-D, Amarpali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.) 302021

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. माली राम कुमावत पुत्र सूरज मल कुमावत वार्ड नं. 09, गौशाला रोड, न्यू कॉलोनी, रींगस, सीकर-332404 राज.
2. रूकमा देवी पत्नी माली राम कुमावत वार्ड नं. 09, गौशाला रोड, न्यू कॉलोनी, रींगस, सीकर-332404 राज.
3. नागर कुमावत पुत्र माली राम कुमावत वार्ड नं. 09, गौशाला रोड, न्यू कॉलोनी, रींगस, सीकर-332404 राज.
4. गोविन्द राम कुमावत पुत्र माली राम कुमावत वार्ड नं. 09, गौशाला रोड, न्यू कॉलोनी, रींगस, सीकर-332404 राज.

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक:- 30 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार स्वामी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः माली राम कुमावत पुत्र

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



सूरज मल कुमावत, रूकमा देवी पत्नी माली राम कुमावत, नागर कुमावत पुत्र माली राम कुमावत एवं गोविन्द राम कुमावत पुत्र माली राम कुमावत की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मालीराम कुमावत के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **अवासीय भूखण्ड (लेआउट प्लान संख्या ए-99) पट्टा संख्या 881/फाइल संख्या 1000, बीकानेर स्टैंड के रेलवे फाटक पर स्थित, रींगस, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल **134.66 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रामगोपाल शर्मा पुत्र मालीराम शर्मा, पश्चिम दिशा में रोड, उत्तर दिशा में मुरलीधर कुमावत पुत्र ताजमल कुमावत एवं दक्षिण दिशा में मालीराम कुमावत पुत्र सूरजमल कुमावत स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹16,63,117/- रूपये (अक्षरे रूपये सोलह लाख तिरेसठ हजार एक सौ सत्रह)**, **₹8,45,469/- रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख पैतालीस हजार चार सौ उनहत्तर)** एवं **₹13,49,277/- रूपये (अक्षरे रूपये तेरह लाख उनचास हजार दो सौ सतहत्तर)** की ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय

संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.02.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की

॥

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.02.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

॥

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **माली राम कुमावत पुत्र सूरज मल कुमावत, रुकमा देवी पत्नी माली राम कुमावत, नागर कुमावत पुत्र माली राम कुमावत एवं गोविन्द राम कुमावत पुत्र माली राम कुमावत** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **मालीराम कुमावत** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **अवासीय भूखण्ड (लेआउट प्लान संख्या ए-99) पट्टा संख्या 881/फाइल संख्या 1000, बीकानेर स्टैंड के रेलवे फाटक पर स्थित, रींगस, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 134.66 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रामगोपाल शर्मा पुत्र मालीराम शर्मा, पश्चिम दिशा में रोड, उत्तर दिशा में मुरलीधर कुमावत पुत्र ताजमल कुमावत एवं दक्षिण दिशा में मालीराम कुमावत पुत्र सूरजमल कुमावत स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक **30 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर